



सत्यमेव जयते

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत श्री Niranjn, vill Gurjarkhedi Pargana Suthaliya , Dist Rajgad Madhya Pradesh. का RTI क्र. MOWRC/R/P/21/00100 दिनांकित 30/12/2021 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

(Information sought under RTI Act by Niranjn, vill Gurjarkhedi Pargana Suthaliya , Dist Rajgad Madhya Pradesh vide RTI application no MOWRC/R/P/21/00100 dated 30/12/2021)

With reference to above RTIs Application, which was received in this office on 05/01/2022 through email by Chief Engineer, PAO, CWC, New Delhi the point wise information as available in WP&P Wing of CWC, is as under:

क्र. सं	चाही गई जानकारी	उत्तर हेतु सामग्री
	सुठालिया सिंचाई परियोजना में पार्वती नदी में जो बांध बन रहा है उसमें जो छति पूर्ति राशि स्वीकृत होगी उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं ।	
1	प्रभावित भूमि की क्षति पूर्ति राशि कितनी मिलेगी, सिंचित असिंचित व अन्य भूमि की क्षति पूर्ति राशि कितनी मिलेगी उसकी जानकारी ।	सिंचाई विकास राज्य की विषय वस्तु होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण जिसमें बांधों, नहरों तथा तटबंधों का मरम्मतकीकरण एवं सुदृढीकरण भी शामिल है, राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्वयं की आवश्यकताओं एवं कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार कि या जाता है। केंद्र सरकार वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं।
2	पक्का मकान में कच्चा मकान एक मंजिला मकान- दो मंजिला मकान, टीन शेड वाले मकानों की क्षति पूर्ति राशि कितनी मिलेगी उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं ।	विषयान्तर्गत सुठालिया सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित नहीं है, न ही परियोजना के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव आज दिनांक तक इस स्कन्ध में प्राप्त हुआ है अतः इस परियोजना के बारे में कोई भी जानकारी इस स्कन्ध में उपलब्ध नहीं है ।
3	फलदार वृक्ष, सादा वृक्ष, इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की क्षति पूर्ति राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं ।	
4	ट्यूबवेल का बोर, भूमिगत पाइप लाइन, कुआं की क्षति पूर्ति राशि की जानकारी ।	
5	प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति कितनी क्षति पूर्ति राशि मिलेगी ।	
6	प्रभावित परिवारों को निवास करने हेतु शासन द्वारा कौनसी भूमि पुनर्स्थापन हेतु स्वीकृत की है उसकी जानकारी, क्या प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन हेतु कॉलोनी के अतिरिक्त भी कोई जगह दी जानी है साथ ही जो परिवार कॉलोनी में रहने को इच्छुक नहीं है उन्हें पृथक से कितनी क्षति पूर्ति राशि दी जावेगी ।	
7	जिन किसानों के मवेशी हैं उनके भरण-पोषण हेतु क्षति पूर्ति राशि कितनी मिलेगी ।	
8	प्रभावित लोगों को कितने दिनों में क्षति पूर्ति राशि मिलेगी उसकी जानकारी ।	

Digitally Signed by

Bhupinder Singh

Date: 01-02-2022 12:15:47

Reason: Approved



I/83831/2022(2)

To,

1. Niranjana, vill Gurjarkhedi Pargana Suthaliya , Dist Rajgadh Madhya Pradesh
2. Under Secretary and Nodal Officer RTI for information and further necessary action please.
3. Chief Engineer, PAO with reference to email dated 05/01/2022 for kind information and further necessary action please

(Applicant may find the RTI reply correspondence at <http://cwc.gov.in/rti-reply>)

In case you are not satisfied with the information/ reply provided by this office, you may directly prefer an appeal within 30 days from the receipt of this letter to the first appellate authority whose address is given as under. Name, designation & address of Appellate Authority for WP&P wing of CWC is Chief Engineer (PAO), Central Water Commission, 7th Floor (S), SewaBhawan, R. K. Puram, New Delhi – 110066. Phone No. 26103561 Fax No.26103561. email-ceprjap@nic.in